तत्काल / शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1803 / सेक–2–पांच–15–7(165) / 2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,**
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त प्रमुख अधीक्षक / अधीक्षिका,**
मण्डलीय पुरूष / महिला, चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

3– **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

4– **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका,**
जिला पुरूष / महिला / संयुक्त चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक** 20 जुलाई **2015**

विषयः–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के निलम्बित चल रहे चिकित्साधिकारियों को निलम्बन की अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के जिन चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध शासन के संज्ञान में आयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत उन्हें निलम्बित किया जाता है, उनके निलम्बन आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित होता है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–53 के प्राविधानों के अनुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध औसत वेतन पर अथवा अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, ही अनुमन्य होगा, किन्तु उनको जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा।

2– प्रायः यह देखने में आ रहा है कि निलम्बित चल रहे चिकित्साधिकारियों के निलम्बन आदेश में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्त तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होने के बाद भी उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

3— अतः इस सम्बन्ध में निदेशित किया जाता है कि कृपया निलम्बित चल रहे चिकित्साधिकारियों के जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नियमानुसार उन्हें तत्काल कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किये जाने सम्बन्धी मामला शासन के संज्ञान में आने पर इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा तथा दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 1803 (1)/सेक—2—पांच—15, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
2— निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
2— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।